कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया
ई–प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

दिनांक– 30.04.2026

पत्रांकः– 1691 /4ए

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग में क्लास "ए, बी, सी एवं डी" मार्ग श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0–4 में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली–भाँति अध्ययन कर लें।

2.कार्यों का विवरण

क्र0 स0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृति पू0वि0नि0 (जिलांश) योजना के अन्तर्गत कार्य										
1	बलिया	ग्रामसभा नागपुरा में नहर से दलित बस्ती तक सी0सी0 का कार्य।	10.90	1.09	945.00	3 Month	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड , लो0नि0वि0, बलिया	अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लो0नि0वि0 , बलिया	मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, आजमगढ़	ए.बी.सी डी
2	बलिया	ग्रामसभा अतरौली मे श्री मारकण्डे सिंह के दरवाजे एवं सैयद बाबा के स्थान के अंगद दास के घर के आगे श्री बृजभूषण पाण्डेय एवं श्री मंगल गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	25.50	2.55	945.00	3 Month				
3	बलिया	ग्रामसभा नसीरपुर में पी0डब्लू0डी0 मार्ग से रामकेश्वर पाण्डेय के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	20.40	2.04	945.00	3 Month				

3. कार्य को पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल सहित है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिवस के लिए होगी। वैद्यता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
5. प्रत्येक निविदा प्रपत्र का शुल्क ई–टेण्डर पोर्टल पर UP e-tender online Account में नेट बैंकिंग के माध्यम से ज़मा कराना अनिवार्य होगा।
6. इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://etender.up.nic.in से दिनांक 15.05.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 22.05.2026 दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।
7. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटिल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
8. ई–टेन्डिरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 22.05.2026 एवं समय दोपहर 12:00 बजे तक है तथा तकनीकी निविदायें दिनांक 22.05.2026 को ही अपरान्ह 12.30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया में खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैधता पूर्ववत् होगा। तकनीकी रूप से योग्य एवं पात्र पाये गये ठेकेदारो की सूची ऑनलाईन फाईनेन्शियल बिड खोलने हेतु समय एवं तिथि आन लाइन वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
9. शासनादेश संख्या–1/2018/3070/78–2–2018/42आई0टी0/2017(22)दिनांक– 03.01.2018 में निहित प्राविधानों के तहत् निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ मूल अभिलेख एवं निविदा शुल्क, धरोहर धनराशि की जमा साक्ष्य अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0–4.4 बी (सी) (i) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर

तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।

11. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0 4.4 बी (सी) (ii) के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवा निवृत्ति की अवधि के दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जिसका उल्लेख कॉलम-8 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक दिनांक 15.05.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 22.05.2026 तक देखा जा सकता है।

13. लोक निर्माण विभाग में निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रहरी साफ्टवेयर के माध्यम से होना है। प्रहरी का यू0आर0एल0 http://wms.uppwd.gov./Prahari/ है। वेबसाइट खोलनें पर प्रहरी लॉगइन का पेज खुलेगा जिस पर यूजर टाईप कान्ट्रैक्टर चयनित करते हुए लॉगइन करना होगा। लॉगइन करनें के लिए यूजर नेम एवं पासवर्ड हेतु चाणक्य पर ठेकेदार पंजीकरण हेतु उपयोग में लाया जानें वाला यूजर नेम एवं पासवर्ड ही होगा। प्रहरी पर निविदादाता को निविदा संबंधी समस्त वांछित सूचना तथा आवश्यक अभिलेख अपलोड करना है,जिसकी विस्तृत जानकारी प्रहरी पर उपलब्ध होगी। यदि निविदादाता द्वारा प्रहरी पर सूचना तथा आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किया .जाता है,तो निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा का तकनीकी मूल्यांकन नहीं हो पायेगा,जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

14. प्रहरी पर समस्त सूचना व अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत करनें के उपरान्त निविदादाता द्वारा तकनीकी शीट E1 डाउनलोड की जायेगी,जिसकी कापी स्कैन कर e-tender portal http://etender.up.nic.in पर अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा E1 के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल पर Techincal Bid से संबंधित तकनीकी शीट E1 के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख अपलोड कया जाता है,तो उसे तकनीकी मूल्यांकन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। बाद में इस संबंध में ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

15. प्रहरी पर कतिपय सूचना/अभिलेख अपलोड करनें के उपरान्त अन्तिम रूप से प्रस्तुत सबमिट करनें हेतु विभाग से अनुमोदित कराना आवश्यक है,जिस हेतु निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि मूल अभिलेख के साथ विभाग के किसी खण्ड/वृत्त में सम्पर्क कर संबंधित सूचना/अभिलेख को अनुमोदित कराना सुनिश्चित करें।

16. निविदादाता को चार्टेड एकाउन्ट द्वारा निर्गत टर्न ओवर(कम से कम पिछले तीन वर्ष का) में UDIN अंकित कराना अनिवार्य होगा।

17. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

18. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे।(निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)

19. टी-1 में दी गई समस्त शर्तें ठेकेदार को पूरा करना है।

20. निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिये सभी सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर (टी-4, टी-5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी-6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

22. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोड के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त कार्यालय जनपद बलिया अथवा किसी अन्य सम्बन्धित श्रमायुक्त कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में निविदा नहीं खोली जायेगी।

23. शासनादेश सं0-6738/23-07-2006-176(एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05-01-2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है परन्तु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया है।

24. धरोहर धनराशि शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08-06-2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही ली जायेगी।

25. कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-9755एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-45/2017 दिनांक- 19.12. 2017 के क्रम में ठेकेदारों के देयक से कर्मकार उपकर की कटौती की जायेगी।

26. आमंत्रित कार्य के बिल आफ क्वान्टिटी में जी0एस0टी0 की दर सम्मिलित नहीं हैं। शासनादेश संख्या-1754/23-12-2017 दिनांक 09.11. 2017 में दिये गये निर्देशानुसार लागू जी0एस0टी अलग से देय होगा।

(कमला कान्त)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by KAMLA KANT
Date: 2026.05.14 22:10:42 IST
Location: Uttar Pradesh-UP